हुक्म की तामील में जारी हुए

23.5.18

पत्रावली लोक अदालत के मध्य
फैर्द सांसरो प्रस्तुत हुई।
वाद वादी स्वीकार किया जाता
है। विस्तृत निर्णय पृथक
से लिखवाया जाकर संलग्न
किया गया। पत्रावली फैसल
शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

SDO देसूरी

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

LTI
आडाराम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी(पाली) राज. केम्प कोर्ट सांसरी

पीठासीन अधिकारी :— श्री राजेश मेवाड़ा (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :— 111/2010
दायर तिथि :— 29.10.2010
निर्णय दिनांक :— 23.05.2018

वादी :—

1. आदाराम पुत्र गोमारामजी
   जाति—सिरवी, निवासी—सांसरी
   तहसील—देसूरी, जिला—पाली, राजस्थान

ब ना म

प्रतिवादीगण :—

1. डायाराम पुत्र गोमारामजी
   जाति—सिरवी, निवासी—सांसरी
   तहसील—देसूरी, जिला—पाली, राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी

वाद अन्तर्गत धारा 53, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— **दिनांक :—23.05.2018**

पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट सांसरी प्रस्तुत हुई। पक्षकारान वादी उपस्थित एवं प्रतिवादी अनुपस्थित। वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान वादी व प्रतिवादीगण के वकुलाय को सुना गया। प्रस्तुत वाद कृषि भूमि विभाजन से संबंधित है एवं राजस्व रेकार्ड में हिस्से के अनुरूप बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन के लिये वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब मे 25 वर्ष पूर्व भौतिक विभाजन के अनुरूप हिस्सा अनुसार विभाजन स्वीकार किये जाने के तथ्य अंकित किये गये है। उपस्थित वादी भी उन तथ्यों से सहमत है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारान को बाद सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मौजा सांसरी के वर्तमान ख. सं. 255, 258, 259 कुल रकबा 6.19 हेक्टर किस्म गे.मु. बेरा, बा.दो. में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी डायाराम का 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। वादग्रस्त भूमि हिस्से एवं बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स मौके पर कब्जे के अनुरूप विभाजन स्वीकार किये जाने में कोई बाधा प्रतीत नहीं है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि मौजा सांसरी के वर्तमान ख.सं. 255, 258, 259 कुल रकबा 6.19 हेक्टर किस्म गे.मु. बेरा, बा.दो. में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी डायाराम का 1/2 हिस्सा का विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार देसूरी वादग्रस्त भूमि का माफिक हिस्सा बाइ मिट्स एण्ड बाउण्ड्स एवं कब्जे के अनुरूप पक्षकारान के मध्य विभाजन कर रास्तों इत्यादि की सुविधा रखते हुये अलग—अलग खसरा नम्बर, क्षैत्रफल, किस्म , लगान वर्णित कर विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

अधिकारी
सूरी

पेज लगातार 2 पर.....

विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर पृथक से इजराय पत्रावली कायम की जावें। इस आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार देसूरी व पटवारी हल्का सांसरी को भिजवाई जावें। डिकी परचा जारी किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2018 को केम्प कोर्ट नाडोल में सुनाया गया।

(राजेश मेवाडा)
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

क्रमांक/रीडर/2018/ दिनांक :– 23.05.2018

प्रतिलिपि :– पालनार्थ।

1. तहसीलदार देसूरी
2. पटवारी हल्का सांसरी।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

प्रपत्र 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी शिविर – सांसरी

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.
वादी :–

1. आदाराम पुत्र गोमारामजी
   जाति–सिरवी, निवासी–सांसरी
   तहसील–देसूरी, जिला–पाली, राजस्थान

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

1. डायाराम पुत्र गोमारामजी
   जाति–सिरवी, निवासी–सांसरी
   तहसील–देसूरी, जिला–पाली, राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी

दावा बाबत 53, 89, 188 राज.काश्त. अधिनियम 1955
मुकदमा नम्बर :– **111/2010**
निर्णय दिनांक :– **23.05.2018**

वादीगण की ओर से **वादी उपस्थित** व प्रतिवादी की ओर से **प्रतिवादीगण उपस्थित** में इस वाद में आज तारीख **23.05.2018** को (नाम पीठासीन अधिकारी) **राजेश मेवाडा आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि मौजा सांसरी के वर्तमान ख.सं. 255, 258, 259 कुल रकबा 6.19 हेक्टर किस्म गे.मु. बेरा, बा.दो. में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी डायाराम का 1/2 हिस्सा का विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार देसूरी वादग्रस्त भूमि का माफिक हिस्सा बाइ मिट्स एण्ड बाउण्ड्स एवं कब्जे के अनुरूप पक्षकारान के मध्य विभाजन कर रास्तों इत्यादि की सुविधा रखते हुये अलग–अलग खसरा नम्बर, क्षेत्रफल, किस्म , लगान वर्णित कर विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर पृथक से इजराय पत्रावली कायम की जावें। इस आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार देसूरी व पटवारी हल्का सांसरी को भिजवाई जावें। डिकी परचा जारी किया जावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **23** माह **मई** सन् **2018** को जारी किया गया।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी

(राजेश मेवाडा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी